उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-15/10/94-का-4-2007
लखनऊः दिनांक : 21 फरवरी, 2007
कार्यालय-ज्ञाप

उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पदों का सृजन करने तथा उक्त पदों पर पदोन्नति करने हेतु प्रकिया के निर्धारण से संबंधित समसंख्यक कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06 जुलाई, 2006 को अवकमित करते हुए, शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का अधोहस्ताक्षरी को निदेश हुआ है :-

(1) उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक के पदों पर कार्यरत् समस्त कार्मिकों को 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने के उपरान्त, उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ लिपिक, वेतनमान रूपये-4,000-100-6,000 में पद सहित उच्चीकृत कर दिया जाय। तद्क्रम से संबंधित पदधारक का वेतनमान वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 के मूल नियम-22बी(1) के अन्तर्गत निर्धारित किया जायेगा।

(2) उपर्युक्त कार्यवाही के फलस्वरूप सेवानिवृत्ति अथवा किसी अन्य कारण से घटित होने वाली रिक्ति, उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक के पद की मानी जायेगी।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में अग्रेतर कार्यवाही सम्पादित करने का कष्ट करें।

3. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-291/दस/2007, दिनांक 20 फरवरी, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(उमेश सिन्हा)
सचिव।

संख्या-15/10/94(1)-का-4-2007, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(पी.एन.यादव)
विशेष सचिव ।